संख्या–970 / पांच–5–2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
2. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश।**
3. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
4. **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षक,**
पुरूष / महिला / संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 **लखनऊ, दिनांक : 27 अप्रैल, 2020**

विषयः प्रदेश के सभी 75 जनपदों की चिकित्सा इकाईयों में आवश्यक आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं, (कोविड पॉजिटिव / संदिग्धों सहित सभी गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव एवं बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल) की बहाली।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–888 / पांच–5–2020, दिनांक 19.04.2020 को अवक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में मातृ–मृत्यु दर एवं नवजात–मृत्यु दर के दृष्टिगत सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भारत सरकार के पत्र दिनांक 14 अप्रैल, 2020 द्वारा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं जैसे गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं की देखभाल संबंधी सेवाओं की बहाली के निर्देश दिये गये हैं, के क्रम में दुर्बल वर्ग में मृत्यु दर को रोकने के लिए जनपद स्तर पर गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु आवश्यक स्वास्थ्य सेवायें निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश दिये जाते हैं :–

(1) कोविड–19 महामारी के दौरान गर्भवती महिलाओं हेतु प्रसव सेवायें(Delivery services for pregnant women during COVID-19 epidemic

(i) जनपद में चिकित्सा इकाईयों का मानचित्रण (mapping) करते हुए, गर्भवती महिलाओं की पर्याप्त देखभाल / प्रसव तथा नवजात एवं बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल सुनिश्चित करने की योजना बनायी जायेगी।

(ii) सभी जिला महिला / संयुक्त चिकित्सालयों में ''कोविड लेबर रूम'' तथा सी0–सेक्शन के लिए कोविड ओ0टी0 चिन्हित किया जायेगा एवं प्रसव / सी–सेक्शन उपरान्त (पोस्ट नेटल केयर) देखभाल हेतु एक आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा। यहां पर समुचित सावधानी, पी0पी0ई0, कीटाणुशोधन (disinfection) एंव बायोमेडिकल अपशिष्ट के निस्तारण की कार्यवाही मानको के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी। इस संबंध में सभी स्टाफ को संक्रमण, इसकी रोकथाम एवं नियत्रंण प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

Pankaj/GO/COME-3

(iii) सभी महिला/संयुक्त चिकित्सालयों में एक ट्राइएज एरिया (Triage Area) चिन्हित किया जायेगा, जहां पर आने वाली सभी प्रसूताओं की प्रारम्भिक जॉच की जाएगी। जिसमें दिये गये फ्लो चार्ट के अनुसार यदि कोई प्रसूता संदिग्ध (कोविड–19 संक्रमित) चिन्हित होती है, तो उसका प्रसव बनाये गये यथावश्यक कोविड एल–आर/कोविड ओ0टी0 में कराया जाएगा।

(iv) सभी सी0एच0सी0–एफ0आर0यू0 में "कोविड लेबर रूम" तैयार किया जायेगा जहां पर एक लेबर–टेबिल एवं वांछित उपकरणों सहित कोविड पुष्टि/संदिग्ध गर्भवती महिलाएं जो आसन्न प्रसव पीड़ा में हैं, के प्रसव के लिए स्वास्थ्य कर्मियों हेतु कम से कम 1–2 पी0पी0ई0 किट्स का प्रावधान सुनिश्चित किया जायेगा। यदि कोई कोविड पुष्टि/संदिग्ध गर्भवती महिला, आसन्न प्रसव पीड़ा में सी0एच0सी0–एफ0आर0यू0 में आती है, तो उसी चिकित्सा इकाई में स्वास्थ्य कार्मिकों द्वारा मानकीय सावधानी बरतते हुए पी0पी0ई0 का प्रयोग करके सुरक्षित रूप से प्रसव कराया जायेगा।

(v) कोविड पुष्टि/संदिग्ध गर्भवती महिला के उपचार हेतु उनका फ्लोचार्ट निम्नवत् दर्शाया गया है:–

FLOW CHART OF PREGNANT WOMAN WHO IS COVID SUSPECT OR CONFIRMED

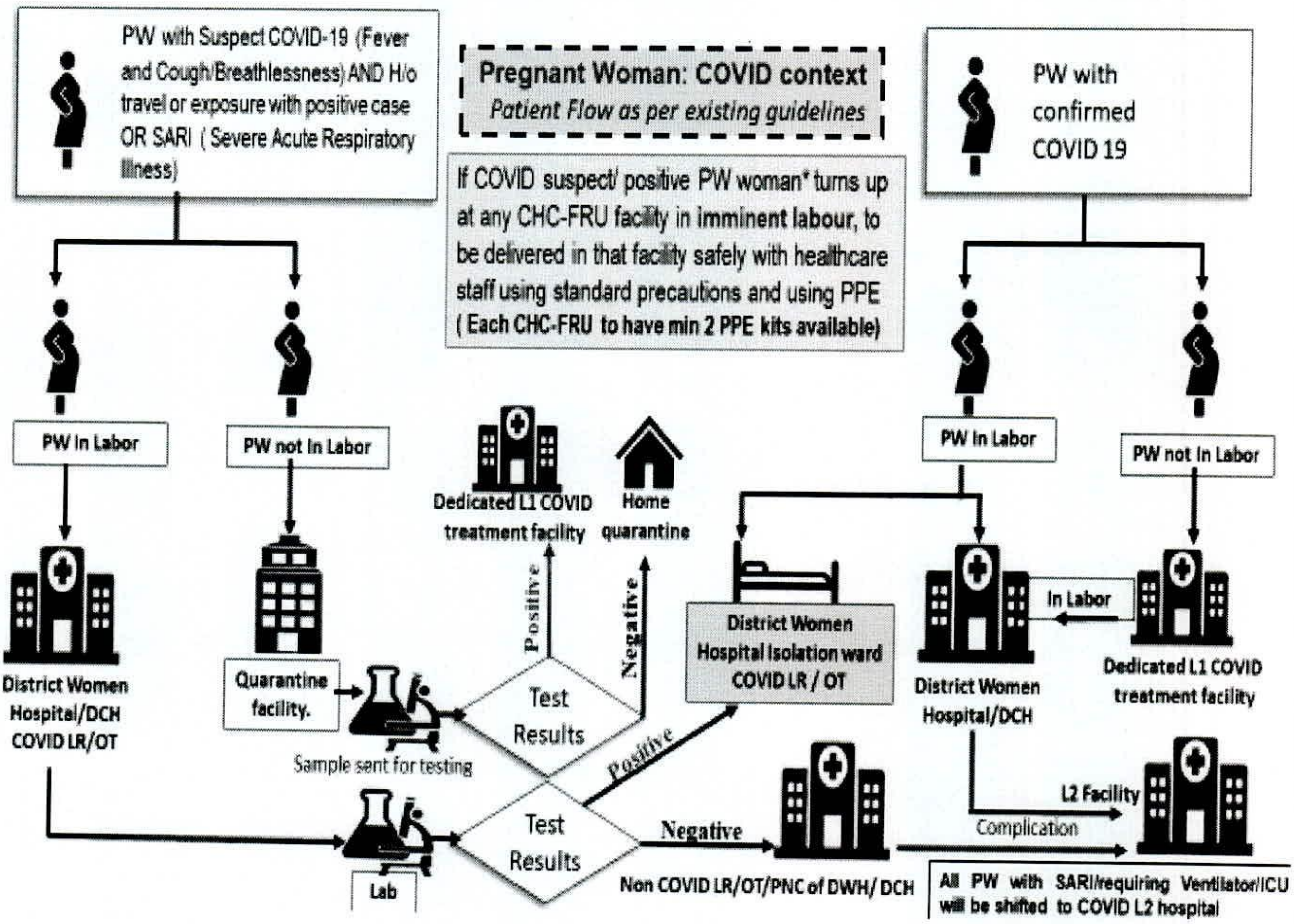

(vi) जटिल मामलों के प्रबन्धन हेतु कोविड लेबर–रूम एवं ओ0टी0 तैयार करने के लिए नये एम0सी0एच0 विंग सहित स्वास्थ्य इकाईयों को विकसित करने पर विचार किया जा सकता है।

Pankaj/GO/COME-3

(vii) निर्दिष्ट 102 एम्बुलेंस का उपयोग गर्भवती महिलाओं, विशेषकर उच्च–जोखिम वाली गर्भावस्था एवं त्रैमासिक गर्भावस्था वाली महिलाओं को समीपस्थ सी0एच0सी0 / जिला महिला चिकित्सालय में रक्त–जांच एवं अन्य जाचों जैसे अल्ट्रासाउंड सहित प्रसवपूर्व देखभाल हेतु लाने के लिए किया जाता रहेगा तथा कोविड पुष्टि मामलों में 108 एम्बुलेंस का प्रयोग किया जायेगा। एम्बुलेंस में परिवहन के दौरान सोशल–डिसटेंसिंग का मानदण्ड अपनाया जायेगा।

(viii) आशा और ए0एन0एम0 द्वारा कोविड संदिग्ध / पुष्टि गर्भवती महिलाओं की लाइन–लिस्टिंग की जायेगी और जिला चिकित्सालय में प्रसव हेतु जन्म की योजना सबंधी परामर्श प्रदान किया जायेगा और इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा अधीक्षक को सूचित किया जायेगा।

(ix) आशा और ए0एन0एम0 द्वारा किसी भी गर्भवती महिला को एल–1 चिकित्सा इकाई पर न लाने के लिए निर्देशित किया जायेगा।

(x) मां की कोविड स्थिति के बावजूद शुरूआती स्तनपान (Early initiation of breast feeding) कराया जायेगा एवं स्वास्थ नवजात को मां के साथ ही रखा जा सकता है। मां द्वारा मास्क का प्रयोग करते हुए हाथ की स्वच्छता संबंधी मानदण्डों का सख्ती से पालन किया जायेगा। यदि मां / नवजात की बीमारी के कारण स्तनपान संभव न हो तो नवजात के लिए अलग से मां का दूध (expressed mother's milk) उपलब्ध कराया जा सकता है।

(xi) बीमार नवजात के उपचार हेतु सी0एच0सी0–एफ0आर0यू0 में एन0बी0एस0यू0 एवं जनपद स्तर पर एस0एन0सी0यू0 की कियाशीलता सुनिश्चित की जायेगी तथा स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा उपयुक्त पी0पी0ई0 संबंधी मानदण्डों का पालन किया जायेगा।

(xii) टीकाकरण की जन्मजात खुराक दी जायेगी।

(xiii) सभी संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमण की रोकथाम व नियंत्रण संबंधित प्रक्रियाओं (Infection prevention control (IPC) practices) में प्रशिक्षित किया जायेगा।

(2) बीमार नवजात की देखभाल–एस0एन0सी0यू0 (Care of Sick New-borns- SNCUs):

(i) एस0एन0सी0यू0 में बीमार नवजात के उपचार–प्रबन्धन हेतु मानक एफ0बी0एन0सी0 प्रोटोकॉल के अनुसार सभी सेवायें निर्बाध रूप से चलती रहेगी।

(ii) मानक एफ0बी0एन0सी0 प्रोटोकॉल के अनुसार एस0एन0सी0यू0 में सभी नवजात को प्रदान की जा रही देखभाल के लिए मानक संक्रमण निवारण एवं नियंत्रण उपाय किए जायेंगे।

(iii) सभी बीमार नवजात के उपचार की प्राथमिकता (Triaging) निर्धारित की जायेगी। यदि नवजात की मां का प्रसव से 14 दिन पूर्व अथवा प्रसवोपरान्त 28 दिवसों के पश्चात कोविड–19 से संक्रमित होने का इतिहास है, अथवा नवजात कोविड–19 से संक्रमित किसी व्यक्ति (परिवार के सदस्य, देखभाल करने वाला व्यक्ति, स्वास्थ्य कर्मी अथवा आगन्तुक इत्यादि) से प्रत्यक्ष सम्पर्क में आता है, तो उसका परीक्षणाधीन रोगी (patients under investigation (PUI) के रूप में प्रबन्धन किया जायेगा, भले वह सिम्टोमेटिक हो अथवा नहीं।

(iv) प्रत्येक एस0एन0सी0यू0 द्वारा कोविड संक्रमण के सम्पर्क में आए नवजात के लिए एक रेडियेन्ट वार्मर आरक्षित किया जायेगा और इसे एस0एन0सी0यू0 परिसर के

अन्दर पृथक कक्ष में रखा जायेगा। यदि पृथक कक्ष उपलब्ध नहीं है तो आरक्षित रेडियेन्ट वार्मर को सामान्य शैय्या से कम से कम दो मीटर की दूरी पर एक कोने में इस प्रकार रखा जायेगा जहां से न्यूनतम आवागमन हो।

(v) सहायक यंत्र/सामग्री सहित उपकरणों को आरक्षित रखते हुए इन्हें आवश्यकतानुसार अपेक्षित स्थान पर स्थानान्तरण हेतु तैयार रखा जायेगा।

(vi) इन आइसोलेशन रूम में कार्यरत चिकित्सक, नर्सिंग एवं अन्य सहयोग स्टाफ उन स्टाफ से भिन्न होंगे जो एन0आई0सी0यू0/एस0एन0सी0यू0 में सामान्य रूप से कार्यरत हैं।

(vii) कोविड संक्रमण के सम्पर्क में आये किसी बीमार नवजात के भर्ती होने की स्थिति में उसकी देखभाल कर रहे स्टाफ द्वारा संक्रमण से बचाव हेतु उपयुक्त सुरक्षात्मकविधियों (protective gear) का इस्तेमाल किया जायेगा।

(viii) कोविड रोगसूचक (symptoms) समाप्त हो जाने तथा 24 घण्टे से अधिक के अन्तराल पर किये गये दो परीक्षणों में नकारात्मक जांच परिणाम आने पर उस नवजात को आइसोलेशन से अन्यत्र स्थानान्तरित किया जा सकता है। नवजात के 24 घण्टे से अधिक के अन्तराल पर किये गये दोनों परीक्षणों में नकारात्मक जांच परिणाम आने के बावजूद यदि मां अभी भी बीमार हैं तो उसे अच्छी स्वास्थ्य देखभाल हेतु डिस्चार्ज किया जा सकता है।

(3) एस0एन0सी0यू0 से डिस्चार्ज होने के पश्चात नवजात का अनुश्रवण (Follow up of newborns after discharge from SNCU (graduates) :

(i) कोविड–रहित ग्रीन जनपद एवं आरेंज क्षेत्रों के कोविड–रहित ब्लाकों में, एस0एन0सी0यू0 से डिस्चार्ज हुए नवजातों (SNCU graduates) का, ओ0पी0डी0 में सोशल डिसटेंसिंग हेतु किए गये उपयुक्त उपायों सहित, अनुश्रवण जारी रहेगा।

(ii) अत्याधिक कोविड संक्रमण वाले जनपदों एवं वह ब्लाक जहां पर कोविड संक्रमण के मामले हैं, वहां पर एस0एन0सी0यू0 डाटा इन्ट्री आपरेटरों द्वारा एस0एन0सी0यू0 से डिस्चार्ज नवजातों का दूरभाष के माध्यम से अनुश्रवण किया जायेगा।

(4) पोषण पुनर्वास केन्द्र (Nutrition Rehabilitation Centres (NRCs) :

(i) पोषण पुनर्वास केन्द्र की सेवाओं की निरन्तरता को इस समय के दौरान भी बनाये रखने की आवश्यकता है।

(ii) कोविड–19 के सक्रिय संचरण के जोखिम तक समूह–परामर्श, खेल–चिकित्सा एवं खाना पकाने का प्रदर्शन संबंधी गतिविधियां निलम्बित रखते हुए इसके स्थान पर स्टाफ द्वारा व्यक्तिगत बेड–साइड परामर्श दिया जाना चाहिए।

(iii) एन0आर0सी0 में भर्ती बच्चों को खांसी, जुखाम या सांस लेने में कोई कठिनाई हो रही है या नहीं, इसकी जांच के लिए दिन में दो बार टेस्ट कराना चाहिए। कोविड के लक्षण प्रदर्शित हाने वाले बच्चों का निर्दिष्ट कोविड–19 आईसोलेशन वार्ड/कोविड समर्पित चिकित्सा इकाई में उपचार कराया जाए।

(iv) एन0आर0सी0 में अवस्थान के दौरान अनुशंसित एस0ए0एम0 प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। संक्रमण के कारण होने वाली क्षति को कम करने के लिए, यदि

एन0आर0सी0 में भर्ती एस0ए0एम0 बच्चा चिकित्सीय जटिलता से ऊबर गया हैं और उनका वज़न >5 ग्राम/प्रति किग्रा0/प्रति दिन की दर से अगले तीन दिवसों तक लगातार बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उनकी माता/देखभाल करने वाले व्यक्ति को पौष्टिक एवं सुरक्षित भोजन तैयार करने, हैंडवाशिंग, प्ले–थिरेपी के साथ–साथ आवश्यक औषधियों (Potchlor and Magnesium sulphate को छोडकर) से संबंधित यथावश्यक परामर्शी के साथ, उसे डिस्चार्ज किया जा सकता है।

(v) तत्पश्चात दूरभाष द्वारा इनका अनुश्रवण किया जायेगा और केवल चिकित्सीय जटिलता वाले बच्चों को "आमने–सामने अनुश्रवण" हेतु बुलाया जायेगा।

(vi) टेक–होम–राशन के गृह–आधारित वितरण को प्राथमिकता देने के लिए एन0आर0सी0 से डिस्चार्ज हुए एस0ए0एम0 बच्चों की सूची आंगनवाड़ी केन्द्रों के साथ साक्षा की जायेगी।

(vii) समुदाय में चिन्हित सभी एस0ए0एम0 मामले आशा/आंगनवाडी कार्यकत्री द्वारा अनुश्रवण हेतु पी0एच0सी0 अथवा समीपस्थ हेल्थ एवं वेलनेस केन्द्र को सन्दर्भित किए जायेंगे।

(5) बच्चों में डायरिया एवं निमोनिया का प्रबन्धन (Management of Diarrhea and Pneumonia in children)

(i) समस्त जनपदों में सभी गैर–कोविड चिकित्सा इकाईयां गम्भीर मामलों में आपातकालीन डायरिया एवं निमोनिया प्रबन्धन सेवायें प्रदान करना जारी रखेंगी।

(ii) जहां भी वी0एच0एन0डी0 आयोजित हो रहें है, वहां पर ओ0आर0एस0, ज़िंक एवं एमोक्सिसिलिन टैबलेट की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी और डायरिया एवं निमोनिया का सामुदायिक प्रबन्धन प्रोटोकॉल के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) जहां कही भी वी0एच0एन0डी0 आयोजित नहीं हो रहें है, वहां पर आशा द्वारा समुदाय में डायरिया एवं निमोनिया मामलों पर दृष्टि/निगरानी रखी जायेगी एवं ओ0आर0एस0, ज़िंक एवं एमोक्सिसिलिन टैबलेट का वितरण मानकानुसार सोशल डिस्टेसिंग उपायों का पालन करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा और आवश्यकतानुसार सन्दर्भन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) किशोर स्वास्थ्य (Adolescent Health) :

(i) कोविड अवधि के दौरान आंगनवाडी कार्यकत्रियों द्वारा स्कूल न जाने वाली किशोरियों को आई0एफ0ए0 ब्लू टैबलेट का मासिक/साप्ताहिक वितरण उनका गृह भ्रमण करके सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखते हुए जारी रखा जायेगा और इसकी प्रविष्टि डब्लू0आई0एफ0एस0 पंजिका में अंकित की जायेगी।

(ii) आंगनवाडी कार्यकत्रियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के मानदण्डों का पालन करते हुए उक्त टैबलेट का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा। अगले माह की आपूर्ति का वितरण करने से पूर्व आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा पूर्व–वितरित टैबलेटों के उपभोग की स्थिति भी चेक की जायेगी।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में कोविड पुष्टि/संदिग्धों सहित सभी गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव एवं बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल इत्यादि संबंधी आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली की आवश्यकता के दृष्टिगत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,

भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में निर्दिष्ट उक्त क्रिया–बिन्दुओं का गम्भीरता से कियान्वयन/अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

27.4.20

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव

संख्या–970/ पांच–5/2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

27/04/2020

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव

Pankaj/GO/COME-3